

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
गजरुवाड़ी बनाम रामप्रसाद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 132/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती गजरुवाड़ी पत्नी श्री रतनलाल पूर्बिया निवासी- टाणी टाणी (पहले सामरी) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 235 रकबा 0.4600</p> <p>कुल कीता 1 कुल रकबा 0.4600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम टाणी (पहले सामरी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 235 रकबा 0.4600</p> <p>कुल कीता 1 रकबा 0.4600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रुपये अक्षरे पत्थर 60 रकबा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p> 